



## A – शिक्षा एवं प्रशिक्षण

# निजी ITI / निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता

### यह संस्थान क्या है

निजी ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) एक निजी-स्वामित्व वाला प्रशिक्षण केंद्र है जो वही ट्रेड पढ़ाता है जो सरकारी ITI पढ़ाते हैं – इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिक तथा इसी प्रकार के अन्य व्यवसाय – परंतु शुल्क लेता है। सभी 169 CTS (शिल्पकार प्रशिक्षण योजना) ट्रेड NSQF (राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा)-अनुपालक हैं (स्तर 3 से 5 तक; अधिकांश नवीन-युग / Industry 4.0 ट्रेड स्तर 3 से 4.5 पर हैं)। निजी ITI सरकारी ITI से संख्या में अधिक हैं: राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 11,700 निजी की तुलना में 3,300 सरकारी। ये CTS ट्रेडों के लिए DGT (प्रशिक्षण महानिदेशालय, NCVET – राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त एकमात्र पुरस्कार-प्रदाता निकाय) के माध्यम से संबद्ध होते हैं और NTC (राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र) जारी करते हैं, अथवा राज्य-मान्य ट्रेडों के लिए SCVT (राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद) के माध्यम से संबद्ध होकर STC (राज्य व्यापार प्रमाण पत्र) जारी करते हैं। निजी ITI पात्र संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं – सोसाइटीयों (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम (एसआरए), 1860), न्यास (भारतीय न्यास अधिनियम (आईटीए), 1882), निजी या लोक सीमित कंपनियों, अथवा एकल स्वामी।

#### यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आपके जिले में सरकारी ITI सीट उपलब्ध नहीं है या आपका पसंदीदा ट्रेड नहीं है, तो निजी ITI एक विकल्प है। दाखिला लेने से पहले संस्थान की DGT/NCVET संबद्धता [ncvtmis.gov.in](http://ncvtmis.gov.in) पर सत्यापित करें – यदि कोई निजी ITI वहाँ सूचीबद्ध नहीं है, तो उसका संबद्धता दावा झूठा है।

### अभिशासन

कानून / नीति	दायरा
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS)	प्राथमिक योजना जो पाठ्यक्रम, व्यावहारिक-से-सिद्धांत अनुपात तथा मूल्यांकन निर्धारित करती है
NCVET / DGT / SCVT	NCVET पुरस्कार-प्रदाता निकायों को नियंत्रित करती है (5 दिसंबर 2018 को अधिसूचित; पूर्ववर्ती राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) तथा NSDA को समाहित किया); DGT CTS के लिए एकमात्र पुरस्कार-प्रदाता निकाय है और NTC जारी करता है; SCVT राज्य-मान्य ट्रेडों के लिए STC जारी करते हैं
प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) संबद्धता मानदंड, 2018 (2025 में अद्यतन)	संबद्धता हेतु बुनियादी ढाँचा एवं स्टाफिंग की न्यूनतम आवश्यकताएँ
शिक्षु अधिनियम (एए), 1961	प्रशिक्षण-उपरांत प्रशिक्षुता को नियंत्रित करता है
राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचा (NSQF) स्तर 3-5	सभी ट्रेड राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे से मानचित्रित

- **नियामक (राष्ट्रीय):** राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) – पुरस्कार-प्रदाता निकायों, मूल्यांकन एजेंसियों तथा प्रशिक्षण निकायों को मान्यता देती है और नियंत्रित करती है
- **पुरस्कार-प्रदाता निकाय (दीर्घकालिक प्रशिक्षण):** प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT), MSDE (कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय) के अंतर्गत – CTS के लिए एकमात्र पुरस्कार-प्रदाता निकाय एवं मूल्यांकन एजेंसी; NTC जारी करता है और AITT (अखिल भारतीय व्यापार परीक्षा) संचालित करता है
- **राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (SCVT):** राज्य-स्तरीय निकाय जो NCVET-अनुमोदित सूची में अब तक न आए ट्रेडों को संबद्ध करता है और STC जारी करता है
- **राज्य:** राज्य व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय (DVET) NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र) देता है, निरीक्षण एवं निगरानी करता है
- **संस्थान:** प्रधानाचार्य / प्रमुख (स्वामी या नामित व्यक्ति हो सकता है)
- **वित्त-पोषण:** विद्यार्थी शुल्क के माध्यम से स्व-वित्त-पोषित



## मुख्य पद

पद	उत्तरदायित्व
प्रधानाचार्य / प्रमुख	संस्थागत प्रमुख; प्रशासन और अनुपालन
ट्रेड प्रशिक्षक	प्रति ट्रेड इकाई एक; सिद्धांत एवं कार्यशाला अभ्यास; CTS पाठ्यक्रम में निर्धारित ट्रेड-विशिष्ट योग्यता रखनी चाहिए (सामान्यतः संबंधित अभियांत्रिकी विषय में डिग्री या डिप्लोमा, अथवा NTC/NAC (राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र) के साथ निर्धारित कार्य-अनुभव, अथवा ट्रेड में CITS – शिल्प प्रशिक्षक प्रशिक्षण योजना); CITS एक स्वीकार्य योग्यता है, एकमात्र अनिवार्य योग्यता नहीं
रोजगार-योग्यता कौशल प्रशिक्षक	अनिवार्य सॉफ्ट स्किल, अंग्रेजी, और डिजिटल साक्षरता मॉड्यूल
प्लेसमेंट समन्वयक	उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियोक्ताओं और प्रशिक्षुता अवसरों से जोड़ता है

## अनिवार्य सेवाएँ

- DGT-निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 70:30 व्यावहारिक-से-सिद्धांत अनुपात के साथ CTS ट्रेड चलाना; पुनरीक्षित CTS के 1,200 वार्षिक नोशनल अधिगम घंटे (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 1,600 से घटाए गए) तथा निकटवर्ती उद्योग में प्रति वर्ष अनिवार्य 150 घंटे OJT (कार्य-स्थल प्रशिक्षण) – यह 1,200 घंटों के अतिरिक्त है – संचालित करना; जहाँ उद्योग OJT उपलब्ध न हो, समतुल्य समूह परियोजना OJT का स्थान लेती है
- अनिवार्य 120-घंटे रोजगार-योग्यता कौशल मॉड्यूल का संचालन
- विद्यार्थियों को NCVT MIS / भारत स्किल पोर्टल पर पंजीकृत करना और उपस्थिति बनाए रखना
- NCVET-मान्य CTS ट्रेडों के लिए AITT को सुगम बनाना, सिद्धांत प्रश्न-पत्र CBT (कंप्यूटर-आधारित परीक्षा) प्रारूप में आयोजित करना; SCVT-मात्र ट्रेडों के लिए राज्य व्यापार परीक्षा
- डिजिटल हस्ताक्षरित NTC जारी करना – NCVT MIS (ncvtmis.gov.in) के माध्यम से उपलब्ध और DigiLocker / राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार से डाउनलोड योग्य – अथवा ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण होने पर STC जारी करना
- प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुता और नौकरियों से जोड़ना
- राज्य-निर्धारित मानदंडों के अनुसार शुल्क लेना (निजी ITI एकल राष्ट्रीय शुल्क सीमा से बंधे नहीं हैं); जहाँ लागू हो, राज्य-स्तरीय शुल्क प्रतिपूर्ति और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति कार्य-प्रवाह को सुगम बनाना

## संबद्ध योजनाएँ

- CTS – मानकीकृत ट्रेड प्रशिक्षण एवं प्रमाणन
- NAPS (राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना) – प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा सहायता (पोर्टल: apprenticeshipindia.gov.in)
- पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (NSP – राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल) – अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) / अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए वित्तीय सहायता
- राज्य शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाएँ – कुछ राज्य निजी ITI में आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों का शुल्क लौटाते हैं

## कैसे हूँ

**पोर्टल:** ncvtmis.gov.in – राज्य और जिले के अनुसार सभी NCVET / DGT-संबद्ध ITI (सरकारी एवं निजी) को ट्रेड, प्रवेश-संख्या और ग्रेडिंग स्कोर सहित खोजें

**इसके अलावा:** राज्य DVET / DTE (तकनीकी शिक्षा निदेशालय) पोर्टलों पर NCVET / DGT-संबद्ध तथा SCVT-संबद्ध दोनों प्रकार के ITI देखें; पंजीकृत ITI के लिए bharatskills.gov.in भी देखें

## मुख्य सुविधाएँ

एक क्रियाशील निजी ITI में होना चाहिए: DGT उपकरण-सूचियों के अनुरूप उपकरणों वाली ट्रेड-विशिष्ट कार्यशालाएँ, सिद्धांत कक्षाएँ, इंटरनेट युक्त कंप्यूटर लैब, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अलग कार्यशील शौचालय, कार्यशालाओं में सुरक्षा उपकरण, ट्रेड मैनुअल वाला पुस्तकालय, तथा चहारदीवारी।



## एक क्रियाशील निजी ITI कैसा दिखता है

- प्रत्येक ट्रेड के पास DGT सूचियों से मेल खाते उपकरणों वाली समर्पित कार्यशाला है, जिसमें उपयोग के संकेत दिखते हैं
- प्रशिक्षक ट्रेड-विशिष्ट CTS-पाठ्यक्रम योग्यता (डिग्री/डिप्लोमा, NTC/NAC + अनुभव, अथवा CITS) पूरी करते हैं, जो NCVT MIS पर सत्यापन योग्य है
- भौतिक रूप से उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या दावा किए गए नामांकन से मेल खाती है
- शुल्क-संरचना प्रकाशित है और विद्यार्थियों द्वारा वास्तव में चुकाए गए से मेल खाती है, बिना किसी छिपे शुल्क के
- पिछले बैच के प्लेसमेंट रिकॉर्ड सत्यापन-योग्य आँकड़ों सहित उपलब्ध हैं
- DGT डेटा-आधारित ग्रेडिंग पद्धति (DDGM, [dgt.gov.in/itigrading](http://dgt.gov.in/itigrading) पर देखी जा सकती है) के अंतर्गत ITI का ग्रेडिंग स्कोर संबद्धता नवीनीकरण और ट्रेडों के संवर्धन के लिए आवश्यक सीमा से ऊपर है

## शिकायत निवारण

**सेवा वितरण के दौरान।** पहला संपर्क बिंदु प्रधानाचार्य / प्रमुख / स्वामी-संचालक है। शुल्क विवाद, छिपे-शुल्क की शिकायतें, तथा प्लेसमेंट के झूठे वादों की लिखित शिकायत – आदर्शतः रसीद के साथ – दर्ज की जानी चाहिए।

**सेवा के बाद।** मामला राज्य DVET / DTE तक बढ़ाया जाता है – जिसके पास संबद्धता प्राधिकार है और जो किसी निजी ITI को मान्यता-रहित कर सकता है। उपभोक्ता-केंद्रित शिकायतें (शुल्क-वापसी, सेवा-इनकार) जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में दर्ज की जा सकती हैं।

**बाहरी।** DGT / राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) क्रमशः [ncvtmis.gov.in](http://ncvtmis.gov.in) और [ncvet.gov.in](http://ncvet.gov.in) पर संबद्धता एवं गुणवत्ता शिकायतें संभालते हैं। जहाँ NCVT संबद्धता का झूठा दावा हो, राज्य DVET को शिकायत सत्यापन शुरू कराती है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) का शिकायत पोर्टल ([msde.gov.in](http://msde.gov.in)) तथा केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, [pgportal.gov.in](http://pgportal.gov.in)) केंद्रीय-मंत्रालय स्तर की शिकायतें संभालते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए), 2019 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता आयोग शुल्क और सेवा-वितरण विवाद संभालता है।